

प्राधिकरण द्वारा आवंटित स्कूलों/संस्थाओं के पट्टा प्रेलेख में उल्लेखित प्रवेश वरीयता सम्बन्धी शर्तों का उल्लेख निम्नानुसार है:-

स्कूलो हेतु आवंटित भूखण्डों के पट्टा प्रलेख में प्रवेश संबंधी प्राविधान विवरण

**1 Modern School, R-51A & R-52 Sector 11 (SENIOR SEC.) (LEASE DATE – 13.03.02)**

- Clause -20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause -29 ग पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- Clause -29 छ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

**2 Govt. Hr. Sec. School, U-1, Sector-12 (LEASE DATE – 2.8.88)**

**No Provision**

**3 ACHLA AGARWAL (CRECH CUM NURSERY SCHOOL), I-38, SECTOR-12**

Clause-22

- (स) निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जाए।
- (द) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में 5% या न्यूनतम 2 जो भी अधिक हो छात्र/छात्राओं को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क राशि नहीं ली जायेगी।
- (घ) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10% अथवा न्यूनतम 5% छात्र/छात्राओं जो भी अधिक हो को योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार 50% शुल्क पर शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- (न) आवंटी को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम 2 विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

Clause-23

- (अ) विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75% छात्र नौएडा के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासी छात्रों का प्रतिशत 90% तक बढ़ा दिया जायेगा।

#### 4 MERRY ANGELS SCHOOL (SR. SEC. ) F-1, SECTOR-15

##### Clause-29

- ग पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- घ पटटादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- च पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे
- झ पटटेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चो के लिए न्यूनतम कक्षा नसरी/प्रथम में 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

#### 5 APEEJAY School, Sector 16A (LEASE DATE – 11.02.82)

##### Clause –O

That the lessee will keep to seats reserved for admission to various classes for the children of residents of the villages lying within the limits of the New Okhla Industrial Development Area entrepreneurs, carrying on industrial activity within the New Okhla Industrial Development Area and their employees or workers and the offices and employees of the lessor.

#### 6 ASSISI CONVENTANT SCHOOL, PS-1, SEC.-17

**Clause -6,** The lessee's instiution shall maintain priority in admission as under-

1. Children of BHEL employees residing in Noida.
2. 10% seats for the nominees of the authority.
3. Children of BHEL employees outside Noida in trans Ymuna Colonies.
4. Other children belonging to bonafide Noida residents.

#### 7 Marigold Public School, B-183B&C, Sec 19 (LEASE DATE – 09.07.99)

- धारा 20 स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।
- द प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिश छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- घ प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- धारा-21 पटटेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।

## **8 Indian National Public School, E-78A Sec 20 (LEASE DATE – 27.03.99)**

- धारा 20 स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।  
द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।  
घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिश छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।  
न प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।  
धारा-22 पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।

## **9 Brahmanand Public School, A62A Sec 20 (LEASE DATE – 17.06.87)**

- Clause –II/VIII The allottee shall keep 10% of the total seat reserved in each class every year for the nominees of Chairman/Chief Executive Officer, Noida especially for Authority's employees.  
Clause –II/IX The lessee must at least provide 10% free-ships and 15% half-free ships to deserving students on the basis of merit- cum-means.  
Clause –II/X The lessee shall admit students only from Noida residents the outside students may only be admitted when local students are not available.

## **10 Bal Bharati Public School, Sector 21 (LEASE DATE – 15.07.91)**

- Clause -2/I आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड पर चलाये जाने वाले विद्यालय का प्रबन्धन एवं संचालन बिना कोई लाभ के आधार पर किया जायेगा। आवंटी यह भी सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय के शुल्क संरचना युक्तिसंगत हो एवं प्रत्येक स्तर के विशेषकर निम्न व दुर्बल आय वर्ग के विद्यार्थियों के भुगतान करने की क्षमता के अनुरूप होगा। अगर कोई लाभ अर्जित होता है तो यह राशि विद्यालय के विकास एवं आधुनिकरण पर ही व्यय की जायेगी।  
Clause -2/II आवंटी/संस्था द्वारा शुल्क निर्धारण निम्न प्राविधान रखना आवश्यक है। --  
अ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में कम से कम 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक हो पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी, इस श्रेणी के विद्यार्थियों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।  
ब प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में कुल छात्रों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित शुल्क के 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।  
Clause -3 अ विद्यालय में न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासी होने अनिवार्य है और 5 वर्ष के भीतर यह संख्या बढ़कर 90 प्रतिशत तक हो जानी चाहिए।

### 11 Little Angels Nursery School, NS-1, Sec 21 (LEASE DATE – 24.02.93)

- धारा 23 स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।  
द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।  
घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिश छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।  
न प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- धारा-24 पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।

### 12 Summer villa School, Sector 22 No Provision

### 13 Noida Public School, A-78, Sec 23 (LEASE DATE –17.01.00)

- धारा 20 स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।  
उ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।  
घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिश छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।  
न प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- धारा-21 पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।  
अ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में पट्टेदाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा।  
ब राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से नौएडा आने की स्थिति में उनके बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।

### 14 CENTRAL SCHOOL, A-7, SECTOR-24, (10+2)

**NO PROVISION**

## 15 Sunrise Ville School, KHS-1 Sec 25 (LEASE DATE – 03.07.97)

- धारा 20 स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।  
द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।  
घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिश छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।  
न प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- धारा-22 पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।  
अ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में पट्टेदाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा।  
ब राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से नौएडा आने की स्थिति में उनके बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।

## 16 N. S. Public School, E-3B, Sec 26 (LEASE DATE –05.07.01)

- धारा ख पट्टे दार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।  
ग पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।  
छ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

## 17 Hill Crust School, I-110 Sec.-27

- Clause-23** द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।  
घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिश छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।

- 24 अ पटटेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।
- ब प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में पटटेदाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा।
- स राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से नौएडा आने की स्थिति में उनके बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।

**18 Cambridge School, F-20A & F-21A, Sector 27 (SR. SEC.) (LEASE DATE – 10.09.81)**

Clause –O That the lessee will keep 10% seats reserved for admission to various classes for the children of residents of the villages lying within the limits of the New Okhla Industrial Development Area, entrepreneurs carrying on industrial activity within the New Okhla Industrial Development Area and their employees or workers and the offices and employees of the lessor.

**19 Cambridge School, C-7A, Sector-27 (PRIMARY) (LEASE DATE–25.11.83)**

**20 Vishwa Bharati School, Sector 28 (LEASE DATE –**

Clause -9 The lessee must at least provide 10% free-ships and 15% half-free ships to deserving students on the basis of merit- cum-means.

Clause -10 The lessee shall admit students only from Noida residents the outside students may only be admitted when local students are not available.

**21 Lord Mahavira School, PS-1A,B&C, Sec 29 (LEASE DATE – 15.05.98)**

Clause -20 पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

Clause -29 ग पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

Clause -29 घ पटटादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

Clause -29 च प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

Clause -29 झ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

## **22 D.P.S. School, Sector 30 (LEASE DATE – 12.11.81 )**

Clause -2(o) That the lessee will keep 10% seats reserved for admission to various classes for the children of residents of the villages lying within the limits of the New Okhla Industrial Development Area, entrepreneurs carrying on industrial activity within the New Okhla Industrial Development Area and their employees or workers and the offices and employees of the lessor.

## **23 City Educational Trust, Plot No-1, Sec 62 (LEASE DATE – 30.10.00)**

Clause -20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

Clause -29 ग पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

Clause -29 झ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

## **24 Father Agnal, Plot No 2 & 3, Sec 62**

**No Provision**

## **25 MAF Academy A-43, Sector-62**

धारा-20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थी का शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे । इस सम्बन्ध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे ।

धारा-29 ख पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

ग पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे

## **26 Heritage Enterprises Plot No C-30/6, Sec 62**

- Clause -29**
- ग पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- घ पटटादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- ड पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे
- ज पटटेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

## **27 Trinity Educational Society Plot No C-30/1, Sec 62**

- Clause -29**
- ग पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- घ पटटादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- ड पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे
- ज पटटेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

## **28 Sardar Balabh Bhai Patel Education Society, C-5/230B, Sec 31 (LEASE DATE – 13.09.91)**

- धारा-23 स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।
- द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।
- घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिशत छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- धारा-24 अ पटटेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।
- ब प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में पटटेदाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा।
- स राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से नौएडा आने की स्थिति में उनके बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।



**29 Shree Sringeri Math Shankar Vidhya Kendra, (School for mantali Handicaped) Plot No. A- 3A, Sector-33, (LEASE DATE – 24.04.97)**

**Clause-21**

- (स) निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जाए।
- (द) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में 5% या न्यूनतम 2 जो भी अधिक हो छात्र/छात्राओं को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क राशि नहीं ली जायेगी।
- (घ) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10% अथवा न्यूनतम 5% छात्र/छात्राओं जो भी अधिक हो को योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार 50% शुल्क पर शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- (न) आवंटी को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम 2 विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

**Clause-22**

विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75% छात्र नोएडा के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नोएडा निवासी छात्रों का प्रतिशत 90% तक बढ़ा दिया जायेगा।

**30 Param Education & medical trust, B-67 sector-33 (Rockwood School)**

- Clause- 28
- झ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
  - ध पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे
  - ज पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

**31 Assisi Convent School, A-43, Sector 33 (LEASE DATE – 28.04.88)**

Clause -9 The lessee must at least provide 10% free-ships and 15% half-free ships to deserving students on the basis of merit- cum-means.

Cluause -10 The lessee shall admit students only from Noida residents the outside students may only be admitted when local students are not available.

### 32 Pragatisheel Education Society, A-117C, Sec 35 (LEASE DATE – 29.03.00)

- Clause -29 ग पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- घ पटटादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- च प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- झ पटटेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### 33 Maharishi Shiksha Sansthan, B-64B, Sec 36 (LEASE DATE – 05.02.00)

- Clause -29 ग पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- घ पटटादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- च प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- झ पटटेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### 34 Army Public School, HS-1, Sec 37 (LEASE DATE – 23.06.94)

- धारा 22 स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।
- द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।
- घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिशत छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- ड प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

- धारा-24 पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।
- अ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में पट्टेदाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा।
- ब राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से नौएडा आने की स्थिति में उनके बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।

### **35 Amar Public School, PS-2B sec.-37**

- Clause-19 द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।
- घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिशत छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- धारा-20 अ पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।
- ब प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में पट्टेदाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा।

### **36 Adesh Singhal & Sangeeta Malhotra (Pre. NURSERY SCHOOL), B-72A, SECTOR-39 (LEASE DATE –29.08.95)**

#### **Clause-23**

- (स) निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जाए।
- (द) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में 5% या न्यूनतम 2 जो भी अधिक हो छात्र/छात्राओं को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क राशि नहीं ली जायेगी।
- (घ) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10% अथवा न्यूनतम 5% छात्र/छात्राओं जो भी अधिक हो को योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार 50% शुल्क पर शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- (न) आवंटी को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम 2 विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

#### **Clause-24**

विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75% छात्र नौएडा के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासी छात्रों का प्रतिशत 90% तक बढ़ा दिया जायेगा।

### **37 Ryan International School, D-46B Sec 39 (LEASE DATE – 26.02.93)**

- धारा 23 स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।

- द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।
- घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिश छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- धारा-24 पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।

### **38 Seventh Day Adventists,F-64A, Sec.-40**

- Clause-23** द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।
- घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिश छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- 24** अ पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।
- ब प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में पट्टेदाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा।
- स राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से नौएडा आने की स्थिति में उनके बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।

### **39 Khaitan Public School,F-1/A, Sector 40 (LEASE DATE – 24.10.94)**

- Clause -23** स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।
- द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।
- घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिश छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- Clause -24** पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।

#### **40 Arushi Academy Society, D-132A, Sec. 47 (LEASE DATE – 26.08.02)**

- Clause -21 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause -29 घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- Clause -29 ङ पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा।
- Clause 29 ज पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत आरक्षित रखेगा।

#### **41 Pupil Care Education Society, B-85A, Sec 47 (LEASE DATE – 17.03.05)**

- Clause -20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause -27 घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- Clause -27 ङ पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause 27 छ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत आरक्षित रखेगा।

#### **42 Silvertone School,C-104A, Sec.-47**

- Clause-29 ग पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- च पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- झ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा

#### **43 Jagran Public School (Sr. Sec.) D-33B, Sector-47, (Lease Date- 26.12.00)**

##### **Clause-29**

- (1) पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- (2) पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- (3) पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे
- 6) पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

**44 Green Valley School, (Pri./ Nursery/ Cruch) A181, Sector-48,  
Clause-29**

- ग पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- ङ पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे
- ज पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

**45 S.D. Public School,C-217, Sec.-49**

**Clause-23**

- द प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम 2, जो भी अधिक को छात्रों व छात्राओं को उनके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क/राशि न ली जायेगी।
- घ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिशत छात्र/छात्राएं अथवा न्यूनतम 5 छात्र-छात्राएं जो भी अधिक हो, की योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- 24 अ पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नौएडा क्षेत्र के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नौएडा निवासियों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा ली जायेगी।
- ब प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में पट्टेदाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा।
- स राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से नौएडा आने की स्थिति में उनके बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।

**46 Kothari International School, B-279, Sec 50 (LEASE DATE – 09.07.99)**

- Clause -20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause -29 घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- Clause -29 च पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा।
- Clause -29 झ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत आरक्षित रखेगा।

#### **47 Ramagya Public School, E-7, Sec. 50 (LEASE DATE – 22.07.03)**

- Clause -20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause -29 घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- Clause -29 ड प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause -29 झ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

#### **48 Noida Public Sr. Sec. School, F-1, Sector-50(Ch. Ram Chander Trust) (Lease Date-05.06.03)**

##### **Clause-29**

- ग पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- ड पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- ज पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

#### **49 RKM School, C-5A, Sector-55, (Lease Date- 10.02.2000)**

##### **Clause-20**

- (स निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जाए।

- (द) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में 5% या न्यूनतम 2 जो भी अधिक हो छात्र/छात्राओं को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क राशि नहीं ली जायेगी।
- (घ) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10% अथवा न्यूनतम 5% छात्र/छात्राओं जो भी अधिक हो को योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार 50% शुल्क पर शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- (न) आवंटी को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम 2 विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

#### Clause-21

विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75% छात्र नोएडा के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर नोएडा निवासी छात्रों का प्रतिशत 90% तक बढ़ा दिया जायेगा।

- अ पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में पट्टादाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा।
- ब राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से नोएडा आने की स्थिति में उनके बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी।

### 50 Vidyavihar Nyas Samiti, B-180B, Sec.-55

#### Clause-29 ग

पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

- घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- ड पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे
- झ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नसरी/प्रथम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### 51 Kirashna Sikhcha Samiti, C-54A, Sec.-56

#### Clause-29 ग

पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

- घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- च पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे



झ पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

**52 Delhi Jain Education Society(Vansthali Public School), A-32B, Sec 56 (LEASE DATE – 09.06.06)**

- Clause -20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause -29 घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- Clause -29 ङ पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause 29 ज पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत आरक्षित रखेगा।

**53 DAV School, A53A Sector 56 (LEASE DATE – 22.08.86)**

- Clause –II/IX The lessee must at least provide 10% free-ships and 15% half-free ships to deserving students on the basis of merit- cum-means.
- Clause –II/X The lessee shall admit students only from Noida residents the outside students may only be admitted when local students are not available.

**54 Rama Devi Memorial Educational Society, E-3 Sec 61 (LEASE DATE – 27.03.99)**

- Clause -20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- Clause -28 घ पट्टादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा जो कि विश्व विद्यालय, विद्यालय अनुदान आयोग अथवा उ० प्र० शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं।
- Clause -28 ङ पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे तथा उन्हें विश्व विद्यालय, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अथवा उ० प्र० शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश नियम एवं योग्यता को पूर्ण करना होगा।
- Clause 28 ज पट्टेदार नौएडा क्षेत्र के उन ग्रामवासियों जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई हो तथा प्राधिकरण कर्मचारियों के उन बच्चों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत आरक्षित रखेगा जो कि विश्व विद्यालय, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, उ० प्र० शासन के उच्च शिक्षा विभाग अथवा अन्य संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश नियम एवं मापदण्डों को पूर्ण करते होंगे।

## 55 Lotus Valley Education Society, Plot No 2, Sector-126

- Clause -29 ग पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों की शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा 2 अन्य विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- घ पटटादार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- ड पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे
- ज पटटेदार नौएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

उक्त क्रम में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 की अनुपूरक सामग्री में भी तदानुसार संशोधन कर दिया गया है तथा इसमें यह उल्लेख कर दिया गया है कि स्कूलों से प्राप्त सूचना/विवरण की छायाप्रति संलग्न की जा रही है ।

**56. मै0 एग्नल चैरिटीस, भूखण्ड सं0 2,3 सेक्टर-62**

आबंटन की धारा(ब) शैक्षणिक

- ( ii ) आबंटी/पटटेदार द्वारा संस्था के परिचालन हेतु शुल्क/प्रभार इस प्रकार लगाये जाने चाहिए कि समाज के सभी वर्ग विशेषकर अल्प आय वर्ग की आकांक्षाओ की पूर्ति हो ।
- ( iii) आबंटी/पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थी को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थी को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा । इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे ।
- ( iv ) आबंटी/पटटेदार को नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण इस शर्त को शिथिल कर सकता है ।
- ( v ) आबंटी/पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा । इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे ।

**57. Somerville School, D-89 Sector-22**

Supplementary Deed executed on 21.2.91 & 13.8.87 and as per Clause

- (1) That at least 75% seats shall be reserved for the candidates belonging to NOIDA Notified Industrial Development Area in School at Noida.
- (2) That the reservation for the admission to the candidates of Noida area shall increase to 90% of the total admission in next five years.
- (3) The NOIDA Authority officers who come on transfer can admit their children as two seats in every section will be kept reserved for them. Admission will be on the basis of their procuring 50% of marks in the previous recognized school. A second category include in this would be NOIDA Authority staff. Their admission to those classes would also belong to this category, subject to the above condition. The candidate should have at least 50% marks in the previous class of a recognized school. Admission in both these categories will be on the recommendation of the CEO/Chairman NOIDA. However, it will be possible to surrender two seats in any section and efforts will be made, if required to accommodate the equal number of surrendered seats in the class to which admission is being sought. If the children have been studying in an unrecognized school, they will undergo an admission test and in case they are unsuccessful they can be accommodated in a class lower than the one applied for. The cut off date would be 31<sup>st</sup> August of every academic session.

**58 D.P.S. Sector-30**

As per clause-II (o) of lease deed – That the lessee will keep 10% seats reserved for admission to various classes for the children of residents, of the villages lying within the limits of the New Okhla Industrial Development Area, entrepreneurs. Carrying on industrial activity within the New Okhla Industrial Development Area and their employees or workers and the officers and employees of the Lessor.

**Govt. Hr.Secondary School,U-1,Sector-12**

As per clause of Supplementary Deed- That 10% of the total seats will be reserved for the dependent children of employees of NOIDA Authority.

**59. Miniland( Navyug Society) Plot No.3/14**

पट्टा प्रलेख की धारा अनुसार

धारा-20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थी की शुल्क प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थी को 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे । इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे ।

धारा-29(क) पट्टेदार द्वारा संस्था के परिचालन हेतु शुल्क/प्रभार इस प्रकार लगाये जाने चाहिये कि समाज के सभी वर्ग विशेषकर अल्प आय वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति हो ।

धारा-29(ख) पट्टेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है ।

धारा-29(ग) पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा । इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

**60. वी0आर0 एजुकेशनल ट्रस्ट ( भूखण्ड सं0 01 सेक्टर-126)**

पट्टा प्रलेख की धारा अनुसार

धारा-20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थी की शुल्क प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थी को 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे । इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे ।

धारा-29(क) पट्टेदार द्वारा संस्था के परिचालन हेतु शुल्क/प्रभार इस प्रकार लगाये जाने चाहिये कि समाज के सभी वर्ग विशेषकर अल्प आय वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति हो ।

धारा-29(ख) पट्टेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है ।

धारा-29(ग) पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा । इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

## 61 लोटस वैली एजुकेशन ट्रस्ट( भूखण्ड सं0 02 सेक्टर-126)

पट्टा प्रलेख की धारा अनुसार

धारा-20 पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थी की शुल्क प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थी को 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगे । इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे ।

धारा-29(क) पट्टेदार द्वारा संस्था के परिचालन हेतु शुल्क/प्रभार इस प्रकार लगाये जाने चाहिये कि समाज के सभी वर्ग विशेषकर अल्प आय वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति हो ।

धारा-29(ख) पट्टेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है ।

धारा-29(ग) पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा । इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

## 62 लिटिल एन्जल्स स्कूल ( भूखण्ड सं0 डी-2 सेक्टर-14)

पट्टा प्रलेख की धारा

धारा-23 (स) निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी ।

(द) कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में 5 प्रतिशत या न्यूनतम दो, जो भी अधिक हो, छात्रों/छात्राओं को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क राशि नहीं ली जायेगी ।

(घ) कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10 प्रतिशत छात्र/छात्राओं अथवा न्यूनतम 5(5) छात्र/छात्राये जो भी अधिक हो, को योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 प्रतिशत शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये ।

(घ-2) आबंटी से प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा । इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे ।

धारा-24 कि पट्टेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि (3) विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत छात्र नोएडा के निवासी होंगे । विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर-2 नोएडा निवासी छात्रों की प्रतिशत 90 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी ।

धारा-24(ब) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में पट्टेदाता के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित दो छात्र/छात्राओं का प्रवेश उसमें किसी भी समय विद्यालय में स्वीकार करना होगा ।

धारा-24(स) राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से नोएडा आने की स्थिति में उनके बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी ।

## 63 संजयगौधी मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी (भूखण्ड सं0 जी-107 सेक्टर-27)

पट्टा प्रलेख की धारा

Clause- 2( viii) ज The lessee shall not make any charges towards building fund from the students directly or indirectly for financing the capital cost of the school. The allottee shall keep 10% of the total seats reserved in each class every year for the nominees of Chairman/Chief Executive Officer, Noida especially for Authority's employees.

Clause-2(ix) The lessee must at least provide 10% freeships and 15% half free ships to deserving students on the basis of merit-cum-means.

Clause-2(x) The lessee shall admit students only from Noida residents. The outsider students may only be admitted when local students are not available.

### सेंट एक्सवियर्स एजुकेशन ट्रस्ट भूखण्ड सी-70बी सेक्टर 39

- धारा-23(स) निम्न दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।
- 23(द) प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में 5% या न्यूनतम दो, जो भी अधिक हो, छात्रों/छात्राओं को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क राशि नहीं ली जायेगी।
- 23(घ) प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10% छात्र/छात्राओं अथवा न्यूनतम 5 छात्र/छात्रायें जो भी अधिक हो, को योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50% शुल्क पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
- 23(न) आवंटी से प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- धारा-24 पट्टेदार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75% छात्र नोएडा के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर अन्दर नोएडा निवासी छात्रों की प्रतिशत 90 तक बढ़ा दी जायेगी।

### कर्नल बंशीलाल भूखण्ड सं एच-48ए सेक्टर-39-

- धारा -29 (ग) पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों का शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- धारा - 29 (घ) पट्टेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।
- धारा-29 (च) पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
- धारा=29 (झ) पट्टेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### कुडडल किड्स स्कूल प्रा0लि0 भूखण्ड बी-109ब सेक्टर 40

- धारा-23(स) निम्न व दुर्बल आय वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जायेगी।
- धारा-23(द) कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खण्ड में 5% या न्यूनतम 2, जो भी अधिक हो, छात्रों को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इन छात्रों से किसी भी मद में कोई शुल्क राशि नहीं ली जायेगी।

धरा-23(घ) कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 10% छात्र/आत्रोओं अथवा न्यूनतम 5(5) छात्र:छाताएं जो भी अण्टिक हरे, को योग्यता व परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50% शुल्क पर शिक्षा देन की व्यवस्था की जाये।

घ-2 आवंटी से प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप प्रवेश देना होगा। इ संबंध में केवल प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

धरा-24 पटटेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय के कुल छात्रों में से न्यूनतम 75% छात्र नोएडा के निवासी होंगे। विद्यालय खुलने के 5 वर्ष के अन्दर-अन्दर नोएडा निवासी छात्रों की प्रतिशत 90% तक बढ़ा दी जायेगी।

#### **नेशलन इन्सटीअयूट फार इ मेंटली हैंडीकैप्ड भूखण्ड सी-44ए सेक्टर-40**

धारा-29(ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा ओ अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

(घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

(च) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

(झ) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम कक्षा नर्सरी/प्रथम में 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

#### **रिचमण्ड एजुकेशनल सोसायटी भूखण्ड डी-108 सेक्टर41**

धारा-29(ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

29(घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशेष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

29(ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

29(ज) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

#### **रामस्वरूप आर्य शिक्षा संस्थान भूखण्ड सी 49ए सेक्टर 48**

धारा-29(ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।



29(घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशंष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

29(ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटदाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

29(ज) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### **नोडडी शिक्षा कल्याण समिति भूखण्ड सं. ए-56/1 सेक्टर 50**

धारा-31 (ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

31(घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशंष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

31(ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटदाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे ही पात्र होंगे।

31(ज) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### **जे0एस0एस0महाविद्यापीठ भूखण्ड सं. ए-104ए सेक्टर 61**

धारा-28 (ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम 10% गरीब विद्यार्थियों को पूर्ण शुल्क /प्रभार योग्यता के आधार पर मुक्त करेगा। तथा प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में,!! तथा !!! स्थान लेने वाले छात्रों को शुल्क/प्रभार में से 75 की छूट देय होगी।

28 (घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के बच्चों को न्यूनतम 75% को प्रवेश देना होगा। केवल विशंष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

28 (च) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटेदाता द्वारा नामित कम से कम दो बच्चों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा में पटटेदाता द्वारा नामित नोएडा प्राधिकरण के कर्मियों एवं नोएडा ग्रामवासियों जिनकी भूमि अधिग्रहण की गयी है को कम से कम 10% बच्चों को प्रवेश देना होगा।

### **मशूरी पब्लिक स्कूल भूखण्ड सं. डी-5 सेक्टर 71**

धारा-29(ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

29(घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशंष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

29(ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटदाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।  
29(ज) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### **दिल्ली जैन एजुकेशन सोसायटी भूखण्ड ए-32बी सेक्टर 56**

धारा-29(ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशंष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

29(ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटदाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

29(ज) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### **प-यूचर एजुटेक प्रा0लि0 भूखण्ड डी-196/1 सेक्टर 51**

धारा-28 (ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशंष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

28 (ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटदाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

29(ज) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### **श्री रविशंकर विद्यामंदिर ट्रस्ट भूखण्ड बी-182ए सेक्टर 48**

धारा-28 (ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशंष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

28 (ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटदाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (ज) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### के०एम०विद्यापीठ प्रा०लि० भूखण्ड ए-49बी सेक्टर 55

धारा-28 (ग) पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (घ) पट्टेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशिष्ट परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

28 (ङ) पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (ज) पट्टेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### नितिश्री एजुकेशन सोसायटी भूखण्ड ड-94बी सेक्टर 55

धारा-28 (ग) पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (घ) पट्टेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 90% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशिष्ट परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

28 (च) पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (झ) पट्टेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### पीच ब्लासम स्कूल भूखण्ड ई-6/1 सेक्टर 61

धारा-29(ग) पट्टेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

29(घ) पट्टेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशिष्ट परिस्थिति में पट्टादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

29(ङ) पट्टेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पट्टादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पट्टादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

29(ज) पट्टेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### दिल्ली जैन एजुकेशन सोसायटी भूखण्ड सी-54बी/3 सेक्टी 61

धारा-28 (ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। केवल विशंष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

28 (ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (ज) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा।

### **रामादेवी मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी भूखण्ड ई-3डी सेक्टर 61**

धारा-28 (ग) पटटेदार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो विद्यार्थियों को शुल्क/प्रभार योग्यता व आय के आधार पर पूर्ण तथा दो अन्य विद्यार्थियों को 50% शुल्क/प्रभार से मुक्त करेगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे।

28 (घ) पटटेदार को नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के न्यूनतम 75% विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। केवल विशंष परिस्थिति में पटटादाता यह नियम शिथिल कर सकता है।

28 (ड) पटटेदार को प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में पटटादाता द्वारा नामित कम से कम दो विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। इस संबंध में केवल पटटादाता के कर्मचारियों के बच्चे भी पात्र होंगे। तथा उन्हें विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग के द्वारा प्रवेश नियम एवं योग्यता का पूर्ण करना होगा।

28 (ज) पटटेदार नोएडा क्षेत्र के ग्रामवासियों के बच्चों के लिए न्यूनतम 10% प्रवेश आरक्षित रखेगा। जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग अथवा अन्य संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों एवं मापदण्डों को पूर्ण करते हैं।

हास्पिटल हेतु आबंटित भूखण्डों में उपचार की सुविधा का पट्टा प्रलेख में प्राविधान

**Kailash Hospital & Research Centre Ltd.( H-33 Sector-27)**

- Clause-II** (1) The lessee shall open free O.P.D. for two hours in Morning and two hours in the Evening.
- (3) The Lessee should meet the expectations of Weaker & Poor Section of Society.
- (4) The lessee shall keep 10% free Beds for poor and weaker section of Society and 15% Beds on 50% subsidized rates for Low Income Group.

**Chaudhary Nursing Home (NH-01 & U-21A/27)**

- Clause-11** (a) Free O.P.D. for two hours daily in the morning and for an hour daily in the evening.
- (b) 25% of the total beds shall be reserved for the poors and such patients shall be provided free hospitalization.
- (c) 15% of the total beds shall be provided to poors on 50% hospitalization charges.

**Ishwar Charitable Trust(E-3A Sector-26)**

- Clause-III** (vii) That the Lessee should run the mentioned Charitable Institution on a no profit basis.
- (viii) That lessee must provide free medical facilities in OPD for more than three hours a day out of which two hours shall be between 8-00 A.M to 10.00 A.M. in the morning every day.
- (ix) That the lessee shall provide 25% of the total beds free of cost and 15% on half of usual rates.

**भूखण्ड संख्या के0-243ए सेक्टर 31 गरिमा नर्सिंग होम:-**

आवंटन पत्र की धारा

- सं0 23-स (i) पटटेदार/आवंटी यदि अस्पताल ह तोउसे कम से कम दो घंटे प्रातः काल व दो घंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निशुल्क चलाना होगा।
- (iii) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो।
- (iv) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम स कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचारसुवधाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आवंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा।
- (v) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तब उसे प्रत्येक प्रकार की आपातकलीन सुविधायें हर समय प्रदान करनी होगी।
- 23- द(i) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन के लिए शुल्क/प्रभार इस प्रकार अधिरोपित करेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों विशंषकर अल्प आय वर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो सकें।

**भूखण्ड संख्या सी-53ए सेक्टर33 दीपाक्षी नर्सिंग एवं मैअरनिटी होम प्रा0 लि0-**

- धारा सं0 23-स (i) पटटेदार/आवंटी यदि अस्पताल ह तोउसे कम से कम ओ घंटे प्रातः काल व ओ घंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निशुल्क चलाना होगा।
- (iii) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो।
- (iv) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम स कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचारसुवधाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आवंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा।
- (v) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तब उसे प्रत्येक प्रकार की आपातकलीन सुविधायें हर समय प्रदान करनी होगी।
- 23- द(i) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन के लिए शुल्क/प्रभार इस प्रकार अधिरोपित करेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों विशंषकर अल्प आय वर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो सकें।

#### **भूखण्ड संख्या डी-12,12ए 12बी सेक्टर-33 प्रकाश हास्पिटल**

आवंटन पत्र की

- धारा सं0 23-स (i) पटटेदार/आवंटी यदि अस्पताल ह तोउसे कम से कम ओ घंटे प्रातः काल व ओ घंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निशुल्क चलाना होगा।
- (iii) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो।
- (iv) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम स कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचारसुवधाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आवंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा।
- (v) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तब उसे प्रत्येक प्रकार की आपातकलीन सुविधायें हर समय प्रदान करनी होगी।
- 23- द(i) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन के लिए शुल्क/प्रभार इस प्रकार अधिरोपित करेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों विशंषकर अल्प आय वर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो सकें।

#### **4.भूखण्ड संख्या ए- 93 सेक्टर 34 मैसर्स शर्मा मेडिकल सेंटर प्राईवेट लि0**

आवंटन पत्र की

- धारा सं0 23-स (i) पटटेदार/आवंटी यदि अस्पताल ह तोउसे कम से कम ओ घंटे प्रातः काल व ओ घंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निशुल्क चलाना होगा।
- (iii) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो।
- (iv) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम स कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचारसुवधाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आवंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा।
- (v) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तब उसे प्रत्येक प्रकार की आपातकलीन सुविधायें हर समय प्रदान करनी होगी।
- 23- द(i) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन के लिए शुल्क/प्रभार इस प्रकार अधिरोपित करेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों विशंषकर अल्प आय वर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो सकें।

**5. भूखण्ड संख्या ए- 98 ए सेक्टर 34 इन्दु हॉस्पिटल एव रिसर्च सेंटर प्रा0 लि0**

आवंटन पत्र की

- धारा सं0 23-स (i) पटटेदार/आवंटी यदि अस्पताल ह तोउसे कम से कम ओ घंटे प्रातः काल व ओ घंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निशुल्क चलाना होगा।
- (iii) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो।
- (iv) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम स कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचारसुवधाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आवंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा।
- (v) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तब उसे प्रत्येक प्रकार की आपातकलीन सुविधायें हर समय प्रदान करनी होगी।
- 23- द(i) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन के लिए शुल्क/प्रभार इस प्रकार अधिरोपित करेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों विशंषकर अल्प आय वर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो सकें।

**भूखण्ड संख्या ए-119ए सेक्टर 35 सुमित्रा नर्सिंग एवं मैटर्निटी होम प्रा0लि0-**

आवंटन पत्र की

- धारा सं0 23-स (i) पटटेदार/आवंटी यदि अस्पताल ह तोउसे कम से कम ओ घंटे प्रातः काल व ओ घंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निशुल्क चलाना होगा।
- (iii) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो।
- (iv) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम स कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचारसुवधाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आवंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा।
- (v) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तब उसे प्रत्येक प्रकार की आपातकलीन सुविधायें हर समय प्रदान करनी होगी।
- 23- द(i) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन के लिए शुल्क/प्रभार इस प्रकार अधिरोपित करेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों विशंषकर अल्प आय वर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो सकें।



**भूखण्ड संख्या बी 38वीं सेक्टर 57 ई0एस0आई0-**

आवंटन पत्र की

- धारा सं0 23-स (i) पटटेदार/आवंटी यदि अस्पताल ह तोउसे कम से कम ओ घंटे प्रातः काल व ओ घंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निशुल्क चलाना होगा।
- (iii) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो।
- (iv) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम स कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचारसुवधाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आवंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा।
- (v) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तब उसे प्रत्येक प्रकार की आपातकलीन सुविधायें हर समय प्रदान करनी होगी।
- 23- द(i) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन के लिए शुल्क/प्रभार इस प्रकार अधिरोपित करेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों विशंषकर अल्प आय वर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो सकें।

Noida Medicare Centre (N.M.C.) E-16c/30

Terms & Conditions of Nursing Home/Hospital

**Clause-4** The lessee if hospital shall arrange to provide a daily OPD for at least two hours in the morning and two hours in the evening. The facility would be provided free of cost by the allottee/lessee hospital.

**Clause-6** The fee/charges structure of the institute would be such so as to meet the aspirations of various section of the society especially poor/economically weaker.

**Clause-7** The lessee if hospital, is expected to reserve at least 10% of the beds for the poor and economically weaker section. And the patient occupying these beds would not pay any charges for bed, consultation and O.T. Moreover 15% beds would additionally be kept reserved for economically weaker section and they would be asked to pay only 50% of the normal charges of bed, consultancy and O.T.

**Clause-8** The lessee if hospital, would provide the emergency facility of all nature, round the clock.

**Addi Charitable Trust (B-183D/19)**

**Lease Deed Clause-II**

**Clause-II (vii).** That the hirer should run the mentioned charitable institutions on a no profit basis.

**Clause-II (viii.)** That hirer must provide free medical facilities in OPD for more than three hours a day out of which two hours shall be between 8-00AM to 10.00 AM. In the morning every day.

**Clause-II ( ix.)** That the hirer shall provide 25% of the total beds free of cost and 15% on half of usual rates.

**Clause-II( x).** That hirer shall cater to the needs of the residents and workers of Noida only.

**U.G. Hospital ( X-1 Sector-12)**

**Lease Deed Clause -17(A)** The lessee shall have to give medical facilities/treatment to the employees of the New Okhla Industrial Development Authority. If approached, at charges/rates not higher than those payable for the required treatment in Moolchand Hospital, New Delhi

**Clause-17 (ii)** The concerned employees of New Okhla Industrial Development Authority however, shall have to produce a certificate duly signed by Chief Executive Officer.

New Okhla Industrial Development Authority, in order to get the above mentioned facility in the Nursing Home in sector-12, Noida Complex. A minimum of 5% beds of the total beds in the nursing home in each category shall be kept reserved for employees of NOIDA

**SABCO Medical (P) Ltd.**

**Lease Deed Clause-17 (A)** The lessee shall have to give medical facilities/treatment to the employees of the New Okhla Industrial Development Authority, if approached at charges/rates not higher than those payable for the required treatment in Moolchand Hospital, NMew Delhi

**Clause-17 (ii) The concerned employees of New Okhla Industrial Development Authority, however, shall have to produce a certificate, duly signed by Chief Executive Officer.**

**New Okhla Industrial Development Authority, in order to get the above mentioned facility in the Nursing Home in Sector-26, Noida Completed . A minimum of 5% beds of the total beds in the nursing home in each category shall be kept reserved for employees.**

डा0 ए.के. अग्रवाल ( सिटी हस्पिटल २६ परअ.285सी/12

आबंटन की धारा-स (नर्सिंग होम/अस्पताल)

**धारा-स ( i )** पटटेदार/आबंटी यदि अस्पताल है तो उसे कम से कम दो धंटे प्रातः काल व दो धंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निःशुल्क चलाना होगा ।

**धारा-स ( iii )** आबंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आंकाक्षाओ की पूर्ति हो ।

**धारा-स ( iv )** आबंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम से कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचार सुविधाओं के लिये कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे । इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आबंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा ।

डा0 ए.एस. कुमार (ए 498ए सेक्टर-19)

आबंटन की धारा-स (नर्सिंग होम/अस्पताल)

**धारा-स ( i )** पटटेदार/आबंटी यदि अस्पताल है तो उसे कम से कम दो धंटे प्रातः काल व दो धंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निःशुल्क चलाना होगा ।

**धारा-स ( iii )** आबंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आंकाक्षाओ की पूर्ति हो ।

**धारा-स ( iv )** आबंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम से कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचार सुविधाओं के लिये कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे । इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आबंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा ।

M/s International Hospital Pvt.Ltd.(B-22 Sector-62)

**Lease Deed Clause-II (g) The lessee shall provide every type of emergency services in the hospital.**

The lessee shall provide all types of free services available in the hospital to the patients occupying 5% of total beds. These patients would be employee/ex-employee of the Authority and their dependent family members.

## BHARDWAJ MEDICARE CENTRE ( NH-01, SECTOR-29)

धारा सं0 23-स (i) पटटेदार/आवंटी यदि अस्पताल ह तोउसे कम से कम दो घंटे प्रातः काल व दो घंटे सांयकाल बहिरंग रोगी विभाग निशुल्क चलाना होगा।

(iii) आवंटी/पटटेदार संस्था के परिचालन में शुल्क/प्रभार की राशि ऐसी होगी कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर अल्प आयवर्ग की आकाक्षाओं की पूर्ति हो।

(iv) आवंटी/पटटेदार संस्था यदि अस्पताल है तो उसे कम स कम 10% पलंग गरीब व अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित रखने होंगे तथा इस हेतु रोगी से उपचारसुवधाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15% पलंग अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इनके रोगी से सामान्य का 50% शुल्क/प्रभार आवंटी/पटटेदार संस्था द्वारा लिया जायेगा।

**Disclaimer:** *Although all attempts are being made to keep the information provided on this document. Users are requested to confirm the current status of the prescribed information with the Authority before proceeding to utilize the information.*